

ਪੰਜਾਬ;

श्री राम द्वारा,  
सिंहासन परिवर्तन,  
देवता शंख कालम ।

सेवा देह

**संप्रिय  
जन्मीय आदर्शिल गिरा परिषद्  
कान्ति-२ समाप्ति-१  
धर्म धर्मार्थ धर्मार्थी ।**

१०८ अन्धा

ਲਖਨਊ: ਦਿਨ: ੨੬ ਫਿਸ਼ਬਰ, ੨੦੧

महात्मा

- ११। विद्यालय की पंजीकूल भौतिक पट्टि का सम्बन्ध संस्कृत पर्ष तथा नवीनी करण कर द्या जाएगा।

१२। विद्यालय की प्रबंध सत्रिति में विश्वा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

१३। विद्यालय में कम से कम टक्के प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उप्र०माध्यमिक विश्वा परिषद द्वारा संयोगित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

१४। सत्याग्रह एवं सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और धर्म पूर्व में विद्यालय माध्यमिक विश्वा परिषद अथवा बैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होता विद्यालय की संबद्धता विद्युतील फोन द्वारा इण्डियन स्कूल स्टॉफ़िकेंट इकामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा टड़ से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उप्र०माध्यमिक परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा एज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगे।

- १५। संस्था ऐपिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान बाहर अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- १६। कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त राजसभीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा सम्प्रसम्पद पर जो भी अधिकार निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगी ।
- १८। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्राप्ति/पंजिकामों में रखा जायेगा ।
- १९। उक्त इति में राज्य सरकार के दूषनुप्रोत्स हेतु बिना लौट परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- २- उक्त प्रतिबधि का पालन करने संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्पद यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबधि का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूल पा शिखिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। रामकुमार ।  
विदेश समिति।

पृ० ३० - १५३६

। । । / १५-७-तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वे अतश्वक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- २- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बोडी ।
- ३- जिला विधालय निरीक्षक, बोडी ।
- ४- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विधालय, उपराज, लखनऊ ।
- ५- प्रबंधक, सेलरेड हाईट पाइकाक ट्रूस, बोडी ।
- ६- गार्ड छुक ।

आज्ञा से,

। अ. शिक्षा पञ्च पुस्त ।  
अनु तात्पर्य ।